

>

Title: Introduction of the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens (Amendment) Bill, 2019.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए । ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री थावर चंद गहलोत : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ ।

माननीय अध्यक्ष: अब लॉबीज़ खोल दी जाएं ।

...(व्यवधान)